

an&gt;

Title: Speaker made valedictory reference on the conclusion of the 13th session of the 16th Lok Sabha.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के समापन पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी।

सोलहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र, जो 15 दिसम्बर, 2017 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान, हमने 13 बैठकें कीं जो लगभग 61 घण्टे चलीं। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए। वषण 2017-18 के लिए सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स - सेकण्ड एण्ड थर्ड बैच के बारे में छः घण्टे से अधिक की चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए।

वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है कि कुल मिलाकर 12 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित हैं:

- केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
- The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017
- The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017
- The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017
- The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017
- The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2017

इस सत्र के दौरान, 280 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 45 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 3.46 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 3220 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभापटल पर रखे गए।

सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठकर लगभग 198 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले, जिसको आप जीरो आवर भी कहते हैं, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 226 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में करीब 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में दक्षिण भारत में 'ओक्खी' चक्रवात के विशेषे संदर्भ में, देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा भी हुई और चर्चा गृह मंत्री के उत्तर के सथ पूरी हुई। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा करीब 55 वक्तव्य दिए गए हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में 2 वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने करीब 2255 पत्र सभा पटल पर रखे।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के करीब 98 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री विनसेंट एच.पाला द्वारा पिछले सत्रों के दौरान पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 29 दिसंबर, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया, तथापि चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, विभिन्न रक्षा स्थापनों के समीप स्थित भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में श्री गोपाल चिनय्या शेटी द्वारा पेश किए गए संकल्प पर 22 दिसंबर, 2017 को आगे चर्चा हुई तथा उसी दिन सभा की अनुमति से इसे वापस भी ले लिया गया। श्री राघव लखनपाल द्वारा 22 दिसंबर, 2017 को जनसंख्या नियंत्रण पर एक सख्त नीति के कार्यान्वयन के बारे में अन्य संकल्प पेश किया गया और इस पर आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में, व्यवधानों और उसके परिणामस्वरूप किए गए स्थगनों के कारण 14 घंटे और 51 मिनट का समय नएट हुआ, फिर भी सभा ने 8 घंटे और 10 मिनट देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनके साथ राज्य मंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं, श्री खड़गे जी समेत, खड़गे जी का नाम ले रही हूं, बहुत अच्छा सहयोग दिया है, विभिन्न समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर हमारे महासचिव और लोक सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए संबंधित सभी एजेंसियों का भी धन्यवाद करती हूं।

**12.23 hrs**

**NATIONAL SONG**

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब 'वंदे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

*(The National Song was played.)*

